कार्ट संख्या–4

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पुनर्विलोकन याचिका संख्या–15/2016

सन्दर्भ में

निर्देश याचिका सख्या–1245/2013

जय मंगल राम, उम्र लगभग 48 वर्ष
पुत्र स्व0 बैजनाम राम, ,
निवासी ग्राम–खारीद, पोस्ट–काजीपुर, थाना–सिकन्दरा, बलिया। कान्सटेबिल नं0–742, सी0पी0 सेवाच्युत, रिजर्व पुलिस लाईन, वाराणसी, जनपद–वाराणसी।

याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन, वाराणसी, जनपद वाराणसी।

3 पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी, जनपद वाराणसी।

4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी, जनपद–वाराणसी।

विपक्षीगण।

निर्णय

(माननीय किशन सिंह अटोरिया, सदस्य, (प्रशासनिक) द्वारा)

यह पुनर्विलोकन याचिका संख्या–15/2016, निर्देश याचिका संख्या–1245/2013 जय मंगल राम बनाम उत्तर प्रदेश ***राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 को*** *पुनर्विलोकित करके अपास्त करने हेतु याची द्वारा प्रस्तुत की गयी है।*

2 याची द्वारा अपनी याचिका मे ंयह याचना की है कि मा0 अधिकरण ने अपने निर्णय में उन बिन्दुओं पर विचार नही किया जो सत्य व तथ्य को स्पष्ट करते हैं, मा0 न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक बिन्दुओं के साथ ही साथ विधिक बिन्दुओं का भी विचारण नही किया गया। मा0 न्यायालय ने अपने निर्णय

के प्रस्तर–13 में पूर्ण वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया है परन्तु इस बिन्दु का परिशीलन किया जाना आवश्यक है कि मा0 न्यायालय ने किन बिन्दुओ पर याचिका को निरस्त किया है। निर्णय में ऐसा कोई स्पष्ट विवरण नही आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मा0 न्यायालय द्वारा उन सुसंगत बिन्दुओं को विचारण में क्यों नही लिया गया जो कि याचिका के भाग हैं। याची ने यह उल्लेख किया है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–373 ए केवल डियूटी पीरिएड के लिये ही ब्याख्यांकित है तो मूल प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अध्याचनकर्ता की डियूटी का समय कब से कब तक था और क्या अध्याचनकर्ता उस समय डियूटी पर था और यदि अध्याचनकर्ता डियूटी पर था तो क्या अध्याचनकर्ता अपनी निर्धारित डियूटी छोड़कर श्री देवीदयाल प्रतिसार निरीक्षक–11 जो कि अपने कार्यालय में बैठे थे के सामने जाकर जोर–जोर से गालियां दे रहा था। यदि यह स्थिति है तो निर्धारित डियूटी से फरार होना या अनुपस्थित होना एक अहम बिन्दु है तो जी0डी0 में इस आशय की प्रविष्टि कहॉ है। दूसरा विचारणीय बिन्दु यह उठता है कि अध्याचनकर्ता डियूटी पर नही था और श्री देवीदयाल प्रतिसार निरीक्षक–11 के कार्यालय के समक्ष जाकर अभद्र व्यवहार किया परन्तु सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही में यह कहीं भी समाविष्ट नही किया गया है कि अध्याचनकर्ता की डियूटी कब से कब तक निर्धारित थी और कहां लगाई गयी थी। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अध्याचनकर्ता डियूटी पर ही नही था और जब अध्याचनकर्ता डियूटी पर ही नही था तो फिर उसके विरूद्ध पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–373 ए का आरोप निर्मित नही होता। ऐसी स्थिति में आरोप पत्र स्वयं ही दूषित है। परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचारण किया ही नही गया।

3. याची ने अपनी पुनर्विचार याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष को अध्याचनकर्ता गाली नही दे रहा है या अमर्यादित आचरण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नही किया जा रहा है जैसाकि आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है। कोई भी व्यक्तिअनावश्यक रूप से तो गाली देगा नही क्योंकि क्रिया पर प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है परन्तु बिना क्रिया के ही प्रतिक्रिया होना आश्चर्यजनक है, सत्य को छिपाया जा रहा है।

श्री देवीदयाल प्रतिसार निरीक्षक–11 पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और दुर्भावनावश अध्याचनकर्ता को प्रताड़ित करने के उददेश्य से ही कुट घटनाक्रम का विनियोजन किये हैं। जी0डी0 कार्यालय पास में है और स्टोर भी बगल में है, प्रतिसार निरीक्षक जैसे पद पर बैठा व्यक्ति कार्यालय में अकेले ही हो और कोई मातहत न हो यह कैसे हो सकता है। यह भी विचारणीय बिन्दु है कि मात्र श्री देवीदयाल प्रतिसार–11 के अकेले के ही शिकायत पर अध्याचनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही कर उसे दोषी करार दे दिया गया अन्ततः सेवा से पदच्युत भी कर दिया। श्री देवीदयाल प्रतिसार–11 द्वारा अध्याचनकर्ता के विरूद्ध एक रिपोर्ट पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी को भेजी गयी जैसा कि वह अपने बयान में स्वयं स्वीकार करते हैं। मदिरा सेवन का आरोप प्रथमतः केवल संदेह पर ही रहा है जिसे बाद में चिकित्सक से पुष्ट कराया गया परन्तु आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न तो किसी चिकित्सीय रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में सायुज्य किया गया है और न ही किसी कथित चिकित्सक को साक्षी के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है।

4. याची ने आगे उल्लेख किया है कि मा0 न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर विचारण नही किया गया है जबकि यह समस्त बिन्दु याचिका में दर्शाये गये हैं। याची ने आरोप पत्र के उत्तर में इन बिन्दुओं को प्रदर्शित किया। जांच अधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किये जाने की प्रस्तावना के साथ ही अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अध्याचनकर्ता की चरित्र पंजिका सहित तीनो ही साक्षियों के बयान अंकित किये हैं। अध्याचनकर्ता को यह अनुमान हो गया था कि उसे दण्डित कराये जाने का उददेश्य ही मुख्य कारण है। अध्याचनकर्ता के विरूद्ध ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य नही है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई अभदता की गयी। मदिरा सेवन का जहां तक तात्पर्य है मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों मे यह अवधारित किया गया है कि मदिरा सेवन के आरोप मात्र पर विभागीय कार्यवाही कर किसी कर्मी को पदच्युत जैसा दण्ड नही दिया जा सकता है। पुलिस कर्मी भी एक मनुष्य है जिसके भी मौलिक अधिकार हैं शासन द्वारा उसे किसी पद पर नियुक्त कर देने मात्र से उसकी अन्तरआत्मा पर अधिकार उसके नियुक्तिकर्ता

अधिकारी का नही हो सकता है क्योंकि नौकरी जीविकोपार्जन के लिये है और भारतीय नागरिक होने के कारण उसका अधिकार संवैधानिक सुरक्षित है। अध्याचनकर्ता एक निर्धारित समयावधि के लिये राज्यकर्मी है और फिर वह सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा किये गये अपकृत्य के लिये सोशल अफेन्स है और सोशल अफेन्स के लिये विधि में अनेक प्राविधान निर्मित किये गये हैं। सामाजिक रूप से किये गये अपकृत्य के विधान आई0पी0सी0 व सी0आर0पी0सी0 में अंकित हैं। परन्तु बिना किसी प्रचुर साक्ष्य के आधार पर इस प्रकार का कुचक्र रचकर अध्याचनकर्ता को दण्डित करने के उददेश्य से सम्पूर्ण घटनाक्रम का निर्माण किया गया है जो इस याचिका का मुख्य आधार है। मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त समग्र बिन्दुओं पर विचारण नही किया गया है अतः निर्णय पुनर्विचारण याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.01.2016 को अपास्त कर याचिका को पुननिर्णित किया जाये।

5. याची की पुनर्विचार याचिका के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा दिनांक 13.12.2016 को आपत्ति विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि मा0 अधिकरण ने उभय पक्षों की उपस्थिति में, निर्देश याचिका/लिखित विवेचन/प्रतिशपथ पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन करने एवं बहस सुनने के पश्चात ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के पुनर्विचार की आवश्यकता नही है, पारित निर्णय परिपूर्ण विधि एवं समस्त बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। मा0 अधिकरण ने निर्णय के प्रस्तर–13 में याची द्वारा दिया गया तर्क सुनने के उपरांत ही आदेश/निर्णय पारित किये गये हैं। **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित एस0बी0एस0आर0 262 (2015) (1) माधव शर्मा व** अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा पूर्व में सेवाभिलेखों में अंकित दण्ड पर विचार करने व जांच आख्या में दण्ड प्रस्तावित कर देने के कारण उक्त जांच कार्यवाही दूषित नही होगी और इसी आधार पर दण्डादेश को अपास्त नही किया जा सकता है।

6. याची वर्ष 2010 में वाराणसी पुलिस लाइन में नियुक्ति के दौरान दिनांक 15.12.2010 को समय लगभग 15:30

बजे प्रतिसार निरीक्षक द्वितीय **श्री देवी दयाल पुलिस लाइन वाराणसी के सामने** नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ पाया गया, याची का चिकित्सीय परीक्षण पं0 दीन दयाल उपाध्याय **राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी** में कराया गया, जिससे याची द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई है। याची को निलम्बित करते हुए याची के विरूद्ध **उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 14–1** के अनुसार विभागीय कार्यवाही की गयी जिसके संबंध में आरोप पत्र दिनांक 28.12.2010 को प्राप्त कराया गया, पीठासीन अधिकारी जनपद वाराणसी द्वारा जांचोपरांत याची को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर जांच आख्या दिनांक 27.05.2011 प्रस्तुत की गयी, अतः याची को कारण बताओ नोटिस एवं जांच आख्या की प्रति देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया, जो याची द्वारा प्रस्तुत किया गया। याची का स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के फलस्वरूप आरोप दिनांक 07.05.2012 द्वारा याची को पदच्युत किये जाने का दण्ड दिया गया। याची द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध योजित अपील एवं रिवीजन भी सकारण आदेश पारित कर निरस्त किये गये। याची पर लगाया गया आरोप साक्ष्यों पर आधारित है तथा चिकित्सीय परीक्षण में याची द्वारा शराब सेवन किये जाने की पुष्टि हुई है। चिकित्सीय परीक्षण अभिलेख पर ही आधाररित है, इसमे डॉक्टर का बयान लिया जाना कोई आवश्यक नही है। याची को जांच में सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर शराब का सेवन करने, पुलिस लाइन में गाली–गलौज करने, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का दोषी पाते हुए याची को सेवा से पदच्युत किये जाने का दण्ड प्रस्तावित किया, इस प्रकार याची के विरूद्ध जांच कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गयी, जिसमें सुनवायी की तिथि नियत कर याची को बचाव का पूर्ण अवसर दिया गया। प्रश्नगत निर्णय सकारण, विधिक है, उक्त निर्णय को यथावत रखते हुए पुनर्विचार याचिका निरस्त होने योग्य है।

7. विपक्षीगण की ओर से दाखिल आपत्ति पर अध्याचनकर्ता की ओर से जवाब दाखिल करते हुए पूर्व के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी।

8 हम लोगो ने याची के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तर्क सुने तथा प्रश्नगत निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका *संख्या–*1245/2013 *जय मंगल राम बनाम उत्तर प्रदेश* राज्य व अन्य को बलहीन होने के कारण निर्णय दिनांकित 11.01.2016 द्वारा खारिज किया गया। इसके विरूद्ध याची द्वारा पुनर्विचार याचिका संख्या–*15/2016* दाखिल की गयी है। याची पर **देवी दयाल पुलिस लाइन वाराणसी के सामने** नशीले पदार्थ का सेवन कर गाली गलौज करने तथा स्वेच्छाचारिताएवं अनुशासनहीनता के कदाचार का आरोप है। याची का चिकित्सीय परीक्षण पं0 दीन दयाल उपाध्याय **राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी** में कराया गया, जिससे याची द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई है। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11.01.2016 का भी हम लोगों ने अवलोकन किया जिसमें याची द्वारा किये गये अभिकथनो तथा विपक्षीगण द्वारा दिये गये लिखित विवेचन, विपक्षीगण के लिखित विवेचन के विरूद्ध प्रत्योत्तर, उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क तथा सभी तथ्यों एवं तर्को का परीक्षण करने के उपरांत आदेश पारित किया गया है तथा जांच अधिकारी द्वारा दण्ड प्रस्तावित करने के संबंध में **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित एस0बी0एस0आर0 262 (2015) (1) माधव शर्मा व** अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त का भी जिक्र निर्णय में किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा पूर्व सेवा अभिलेखों में अंकित दण्ड पर विचार करने व जांच आख्या में दण्ड प्रस्तावित कर देने के कारण जांच कार्यवाही दूषित नही होगी और इस आधार पर दण्डादेश अपास्त नही किया जा सकता है। यह निर्णय में अवधारित किया गया है। पुनर्विचार याचिका में मुख्य रूप से याची ने यह उल्लेख किया है कि चिकित्सक के बयान नही लिये गये, चिकित्सीय रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही किया गया है। याची के शराब सेवन का परीक्षण पं0 दीन दयाल उपाध्याय **राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी** में कराया गया, उनके द्वारा याची के शराब सेवन की पुष्टि की गयी है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक एवं चिकित्सीय रिपोर्ट की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है।

10 सरकारी सेवक 24 घण्टे का सरकारी सेवक होता है। पुलिस लाइन परिसर शासकीय कार्यालय है जिसमे किसी कर्मचारी का नशे में होना अमर्यादित आचरण करना शासकीय आचरण नियमावली के विरूद्ध है। याची का देवी दयाल पुलिस लाइन वाराणसी के सामने नशीले पदार्थ का सेवन कर गाली गलौज करना, अशोभनीय व्यवहार करना, अनुशासित पुलिस बल के लिये अक्षम्य आचरण है। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11.01.2016 में हर बिन्दु का संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया है। हम लोगो की राय में मा0 अधिकरण के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नही है।

मीरा भांजा (श्रीमती) बनाम निर्मला कुमार चौधरी (श्रीमती) (1995)1 एस0सी0सी0 पृष्ठ 170 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

"The review proceedings are not by way of an appeal and have to be strictly confined to the scope and ambit of Order 47 Rule 1, CPC. The review petition has to be entertained only on the ground of error apparent on the face of the record and noton any other ground. An error apparent on the face of record must be such an error which must strike one on mere looking at the record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. The limitation of powers of court under Order 47 Rule 1, CPC is similar to the jurisdiction available to the High Court while seeking review of the orders under Article 226.

उपरोक्त विवेचना एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था से हम लोग यह पाते है कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11.01.2016 में कोई त्रुटि नही है और उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेकर आदेश पारित किया गया है तथा याची द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी है, उसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है और न

कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया गया हो जिसकें आधार पर ऐसा आभाष होता हो कि मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2016 में किसी तथ्य का संज्ञान नही लिया हो। ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन याचिका में कोई बल नही प्रतीत होता है। तदनुसार यह पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने योग्य है।

आदेश

पुनर्विलोकन याचिका बल न होने के कारण खारिज की जाती है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0 ह0

(मोहम्मद बाबर) (किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य (न्या0) सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0 ह0
(मोहम्मद बाबर) (किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य (न्या0) सदस्य (प्रशा0)

दिनांक 29 मई, 2017 ममता, निजी सचिव